विषय सूची

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	परिचय	1
2	आयोग के कार्य	1–2
3	आयोग तथा इसका सचिवालय	3
4	आयोग के मानव संसाधन	3–5
5	वर्ष के दौरान गतिविधियां	5–7
6	उपभोक्ता फोरम	7–9
7	राज्य आयोग, उच्च न्यायालय, विद्युत अपील अधिकरण तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा विवादों का न्यायनिर्णय।	9–10
8	वित्त एवं लेखा	10–12
9	समन्वय फोरम	12–15
10	तकनीकी/विनियामक/टैरिफ विश्लेषण मामले	15–20
11	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना	21–33
अनुलग्नक		
अनुलग्नकों के लिए कृपया अंग्रेजी भाग देखें		

1 परिचय

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग एक वैधानिक संगठन है, जिसका गठन विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का 14वां) के अधीन 30.12.2000 को किया गया। आयोग द्वारा 6 जनवरी, 2001 को शिमला स्थित मुख्यालय से अपना कार्य प्रारम्भ किया गया। वर्ष 2009–10 में आयोग ने अपने कार्य के 9वें वर्ष में प्रवेश किया।

पुनर्विनियमन विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36वां) के अधीन राज्य सरकार को अपने विद्युत क्षेत्र को यथोचित ढंग से विकसित करने हेतु पर्याप्त ढील प्रदान की गई है जिसके अन्तर्गत :–

(क) विद्युत उत्पादन, संचारण, वितरण, व्यापार, विद्युत उपयोग से सम्बन्धित कानूनों का समेकन।
(ख) विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्द्धा की भावना का विकास तथा उन्नयन।
(ग) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा उनकी शिकायतों का निराकरण।
(घ) सभी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति।
(ड़) विद्युत प्रभार को युक्तिसंगत बनाना, क्रास उपदान स्तर को कम करना।
(च) पर्यावरण मित्र नीतियों के द्वारा कार्यकुशलता तथा मितव्ययता आदि को बढ़ावा देना।

इसी के दृष्टिगत आयोग द्वारा राज्य में विद्युत क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न विनियम तैयार तथा अधिसूचित किए गये हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 में प्रावधान किया गया है कि राज्य आयोग को प्रतिवर्ष उसके द्वारा गत वर्ष के दौरान की गई गतिविधियों की संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करने के उपरांत इसे विधान सभा पटल पर रखने हेतु राज्य सरकार को भेजनी होगी। इसी के दृष्टिगत वर्ष 2009–10 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार की गई है।

2 आयोग के कार्य

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1) के अधीन राज्य आयोग को निम्नलिखित अनिवार्य कार्य सौंपे गये हैं :–

- राज्य के भीतर विद्युत उत्पादन, आपूर्ति, संचारण एवं व्हीलिंग हेतु बहुल, थोक अथवा खुदरा यथास्थिति, शुल्क निर्धारित करना। यह उपबन्धित है कि जहां धारा 42 के अधीन किसी उपभोक्ता वर्ग को खुली पहुँच की अनुमति प्रदान की गई हो, ऐसी स्थिति में राज्य आयोग उपभोक्ता के ऐसे वर्ग के सम्बन्ध में केवल व्हीलिंग प्रभार तथा उस पर लगने वाला प्रभार, यदि कोई हो, का निर्धारण करेगा।

- वितरण लाईसैंसधारियों की विद्युत क्रय एवं प्रापण प्रक्रिया को विनियमित करना जिसमें वह कीमत शामिल है जिस पर अनुबन्ध द्वारा उत्पादक कम्पनियों अथवा लाईसैंसधारियों अथवा अन्य स्त्रोतों से राज्य के भीतर वितरण एवं आपूर्ति हेतु विद्युत प्रापण किया जाएगा।
- राज्य के भीतर विद्युत संचारण तथा व्हीलिंग की सुविधा उपलब्ध करवाना।
- उन व्यक्तियों को लाईसैंस जारी करना जो संचारण, वितरण लाईसैंसधारी व विद्युत व्यापारी के रूप में प्रदेश के भीतर प्रचालन में इच्छा रखते हों।
- ग्रिड से जोड़ने के लिए व किसी व्यक्ति को विद्युत विक्रय हेतु समुचित उपाय उपलब्ध करवा कर नवीनीकृत उर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन एवं सहउत्पादन प्रोत्साहित करना तथा इसके साथ ही ऐसे स्रोतों से बिजली क्रय करने हेतु वितरण लाईसैंसधारी के क्षेत्र में उपयोग में लाई जाने वाली कुल बिजली की प्रतिशतता निर्धारित करना।
- लाईसैंसधारियों व उत्पादक कम्पनियों के मध्य विवादों का निर्णय करना, किसी विवाद को मध्यस्थ निर्णय हेतु भेजना।
- अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शुल्क लगाना।
- धारा 79 की उप धारा (1) के खण्ड (एच) के अन्तर्गत निर्दिष्ट ग्रिड कोड के अनुरूप राज्य ग्रिड कोड को निर्दिष्ट करना।
- लाईसैंसधारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में गुणवता, निरन्तरता तथा विश्वसनीयता के मानक तय करना अथवा उन्हें लागू करना।
- यदि आवश्यक हो तो, राज्य के भीतर व्यापार में व्यापारिक मार्जिन निर्धारित करना।
- ऐसे अन्य सभी कार्यो का निर्वहन करना जो इस अधिनियम के अन्तर्गत इसे सौंपे जाए।

इसके साथ ही विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (2) के अधीन आयोग राज्य सरकार को निम्नलिखित अथवा किसी अन्य मामले में परामर्श प्रदान कर सकता है :–

(i) विद्युत उद्योग की गतिविधियों में प्रतिस्पर्द्धा, दक्षता एवं मितव्ययता को बढ़ावा देना।

(ii) विद्युत उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना।

(iii) राज्य में विद्युत उद्योग का पुनर्संगठन तथा पुनर्संरचना।

(iv) विद्युत उत्पादन, संचारण, वितरण, व्यापार अथवा अन्य सम्बन्धित सभी मामले जो कि राज्य सरकार द्वारा आयोग को भेजे जाए।

3 आयोग तथा इसका सचिवालय

अधिनियम की धारा 82(4) के अनुसार राज्य आयोग में अध्यक्ष सहित तीन से अधिक सदस्य शामिल नहीं होंगे, जबकि वर्तमान में एक सदस्यीय आयोग का कार्य 31.1.2006 से श्री योगेश खन्ना की अध्यक्षता में किया जा रहा है। प्रदेश में अपने कार्य के दौरान आयोग का निरन्तर प्रयास रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अपने कार्य निष्पादन के दौरान लिए गये निर्णयों में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए। आयोग के सचिव द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत सभी वैधानिक मामलों, कार्मिक, प्रषासनिक, लेखा व वित्त तथा कार्यकारी निदेशकों द्वारा सभी तकनीकी, मामलों जैसे विनियम बनाना, तकनीकी व आर्थिक अनुमोदन, पी.पी.ए. तथा टैरिफ विश्लेषण इत्यादि में अध्यक्ष को सहयोग दिया गया। अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा भी आयोग को विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया।

4 आयोग के मानव संसाधन

4.1 सामान्य

वर्ष के दौरान आयोग में मुख्यतः हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तथा अन्य विभागों/निगमों से प्रतिनियुक्ति/सैकेन्डमैंन्ट के आधार पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इंजीनियरिंग, वित्तीय विश्लेषण, लेखा, सूचना तकनीकी तथा मानव संसाधन प्रबन्धन आदि क्षेत्रों से जुडे कार्य किए गए। आयोग द्वारा हि0प्र0वि0नि0आ0 (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा शर्तें) विनियम को अभी तक अन्तिम रूप में अधिसूचित किया जाना है।

वर्ष के दौरान, आयोग द्वारा सुरक्षा व्यवस्था, कार्यालय सहायता तथा अन्य आन्तरिक कार्यों के निष्पादन हेतु बाह्य स्रोतों (सेवा प्रदाता) के माध्यम से मितव्ययता तथा कार्य दक्षता की दृष्टि से सेवाएं जारी रखी गई। 31.3.2010 तक आयोग में कुल 30 कर्मचारी कार्यरत रहें। नियमित कर्मचारियों के अभाव तथा कार्य की अधिकता के दृष्टिगत आयोग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में परामर्शदात्ताओं की विशेष सेवाएं भी ली गई।

आयोग का संगठनात्मक चार्ट परिशिष्ट–I तथा कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट–।। पर संलग्न है।

4.2 कार्मिक एवं प्रषासन

आयोग के संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभी अधिकारी तथा कर्मचारी मिल–जुलकर कार्य कर रहें हैं। कार्मिक तथा प्रशासनिक, लेखा एवं वित्त तथा विधि शाखाएं आयोग के सचिव के अधीन कार्य कर रही हैं जिसके अन्तर्गत कार्यकारी तथा गैर कार्यकारी कर्मचारियों की भर्ती, वित्तीय सेवाएं, बजट, क्रय एवं प्रापण, अनुरक्षण एवं देख–भाल, कार्मिक, प्रशासनिक, विधि, प्रशिक्षण तथा कार्य मूल्यांकन जैसे महत्त्वपूर्ण मामलेष्षामिल हैं। श्रीमती पूर्णिमा चौहान (हि.प्र.से.) वर्ष के दौरान सचिव के रूप में आयोग में सैकेन्डमैंट आधार पर कार्यरत रहीं। आयोग के कार्मिक एवं प्रशासनिक तथा लेखा सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन हेतु सचिव को कार्मिक एवं प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, अधीक्षक ग्रेड–।।, वरिष्ठ सहायकों तथा रिकार्ड कीपर द्वारा सहयोग दिया गया।

4.3 अधिकारियों/कर्मचारियों की अद्यतन स्थिति

गत वर्ष के दौरान श्री जे.पी. काल्टा के अपने मूल विभाग में मुख्य अभियन्ता के रूप में प्रोन्नति के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 11.03.2010 को वापिस भेजा गया। इसी प्रकार श्री बी.एस. कंवर वरिष्ठ आशुलिपिक की तदर्थ रूप में निजी सहायक के रूप में प्रोन्नति की गई तथा उन्होंने दिनांक 20.08.2009 को इस पद का कार्यभार ग्रहण किया। श्री अशोक गौतम निजी सहायक का हि0प्र0 महिला आयोग में सैकेन्डमैंट आधार पर निजी सचिव के रूप में चयन होने पर उन्हें 17.02.2010 को कार्यभार मुक्त किया गया। निदेशक (टी.ई) तथा विधि अधिकारी आदि की नियुक्ति के सम्बन्ध में किए गये प्रयासों के बावजूद इन्हें नहीं भरा जा सका तथापि इन पदों को भरे जाने हेतु प्रयास जारी हैं।

4.4 परामर्षदाताओं की सेवाएं

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 91 (4) के अधीन आयोग अपनी शर्तों एवं निबन्धन के अनुरूप कार्य निष्पादन हेतु परामर्शदाताओं की नियुक्ति करता है। श्री बी.एस. बक्शी, सेवानिवृत कार्यकारी निदेशक तथा श्री एस.के. चानणा, सेवानिवृत सदस्य (तकनीकी) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को एक वर्ष की अन्य अवधि के लिए क्रमशः 2 जनवरी, 2010 तथा 14 मार्च, 2010 से रिटेनर परामर्शदाता (तकनीकी। तथा।।) के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार श्री शशिभूषण शर्मा (कम्पयूटर नेटवर्क एवं सर्वर मैनेजमैंट) की परामर्श अवधि में 6 अगस्त, 2009 से अगले एक वर्ष के लिए विस्तार किया गया। श्री जी.पी. अत्री को 1 दिसम्बर, 2009 से एक अन्य वर्ष के लिए पुनः रिटेनर परामर्षदाता (विधि) नियुक्त किया गया। शुल्क, वित्तीय एवं लेखा सम्बन्धी मामलों में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से श्री बी.के. सेठ को भी 28 फरवरी, 2010 से एक वर्ष के लिए पुनः रिटेनर परामर्शदाता (एफ. एण्ड ए.) के रूप में नियुक्त किया गया।

इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा समय–समय पर प्रतिसपर्द्धात्मक निविदाओं के आधार पर टैरिफ याचिका के निर्धारण तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में संस्थागत परामर्शदाताओं की सेवाएं ली गई।

4.5 उपभोक्ता प्रतिनिधि

आयोग के समक्ष उपभोक्ताओं के हितों की पैरवी करने के लिए श्री प्रेम नाथ भारद्वाज को इस वर्ष भी उपभोक्ता प्रतिनिधि के रूप में अनुबंधित किया गया।

5 वर्ष के दौरान गतिविधियां

5.1 प्रषिक्षण/कार्यषालाएं/बैठकें

वर्ष के दौरान आयोग द्वारा अपने अधिकारियों को निम्नलिखित प्रशिक्षणों, सम्मेलनों/कार्यशालाओं/बैठकों में राज्य के बाहर भेजा गया :–

- विद्युत विपणन विकास।
- सौर ऊर्जा सभा, 2010।
- ''ऊर्जा नीति तथा विनियम के नये प्रतिमान'' पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन।
- ऊर्जा सभा, 2010।
- भारत में जल विद्युत नई सम्भावनाएं।
- नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र प्रक्रिया के लिए कार्यदल।
- आधारभूत संरचना निर्माण चुनौती एवं अवसर, आधारभूत संरचना विनियम तथा सुधार।
- विनियामक सूचना प्रबन्ध प्रणाली (RIMS) का संचालन।
- ऊर्जा व्यापार तथा ऊर्जा विनियम।
- जलवायु परिवर्तन विनियमन आयोग के अधिकारियों के लिए तकनीकी विकास तथा स्थानान्तरण, वित्त एवं अर्थ व्यवस्था।
- सौर ऊर्जा सभा, 2010।
- विनियमन, स्पर्द्धा तथा उपभोक्ता सुरक्षा सम्बन्धी मामले।
- विद्युत अधिनियम, 2003 आपूर्ति में प्रतिस्पर्द्धा, खुली पहुँच में चुनौती, विनियम तथा बाजार बोध।
- ''जलविद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु प्रतिमान अनुबन्ध दस्तावेज'' पर सभा।
- ऊर्जा क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी।
- डी.एस.एम. इन्टरनेट पोर्टल विकास।
- विनियामक आयोग के अधिकारियों के लिए वित्त एवं अर्थ व्यवस्था।

- मांग आधारित प्रबन्ध तथा ऊर्जा कार्यकुशलता (DSM & EE).
- भारतवर्ष में ऊर्जा वितरणः त्वरित प्रगति सुधार।
- R-APDRP, क्षति में कमी तथा तकनीक।
- विद्युत क्षेत्र में विनियमन आदि।

आयोग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कार्यालय में ही 16.11.2009 से 26.11.2009 तक DOAECC सोसाईटी शिमला के माध्यम से कम्पयुटर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आयोग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी कम्पयूटर में जानकारी के अनुसार दो समूहों में बांटा गया जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के मानव संसाधन को प्रारम्भिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा उनकी क्षमता में वृद्धि की गई। परीक्षा के उपरांत सभी प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण–पत्र प्रदान किए गये।

जिन अधिकारियों ने प्रशिक्षण/सम्मेलनों/बैठकों में भाग लिया उनका विवरण परिशिष्ट–।।। में दर्शाया गया है।

5.2 कम्पयूट्रीकरण

आयोग के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनकी क्षमता तथा संगति के दृष्टिगत कम्पयूटर उपलब्ध करवाए गये हैं। इन्हें स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (LAN) के साथ जोड़ा गया है ताकि सूचना का आदान–प्रदान प्राथमिकता तथा विश्वसनीय रूप से किया जा सके। पूर्व में स्थापित कम्पयूटर नेटवर्क में वृद्धि करते हुए इसका उन्नयन किया गया है। आयोग में इस समय दो सर्वर, 35 डैस्कटॉप, 15 प्रिंटर तथा 2 फोटोकोपियर–कम–फैक्स के अतिरिक्त 8 लैपटॉप एक प्रोजेक्टर, एक दृश्य श्रब्य सिस्टम तथा अन्य वाह्य हार्डवेयर एवं मानक सॉफटवेयर आईटम प्रदान किए गये हैं। LAN को आयोग तथा ओमबड्समैन कार्यालय के समीपवर्ती भवन तक बढ़ाया गया है ताकि संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग किया जा सके।

5.3 वेबसाईट

सूचना का अधिकार अधिनियम तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विनियमों के अधीन महत्त्वपूर्ण सूचना को आयोग की बेवसाईट http://www.hperc.org में समाविष्ट किया गया है, जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा उपभोक्ताओं तथा अन्य लाभार्थियों के लिए आरम्भ की गई विभिन्न गतिविधियों के बारे में सुलभ जानकारी, विस्तृत प्रचार–प्रसार के साथ पारदर्शिता से उपलब्ध करवाई जा रही है।

5.4 पुस्तकालय

आयोग से सम्बन्धित पुस्तकें, विधिजर्नल तथा अन्य दस्तावेजों को अप्रैल, 2009 से मार्च, 2010 तक समय–समय पर पुस्तकालय के लिए क्रय किया गया।

5.5 समाचार पत्र कतरन सेवा

राज्य के भीतर व बाहर विद्युत क्षेत्र में घटित होने वाली अद्यतन गतिविधियों की आयोग को समयक जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यालय में दैनिक समाचार पत्र कतरन सेवा आरम्भ की गई है। इन्हें आयोग के अवलोकनार्थ एवं उपयुक्त कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया।

5.6 संसद/विधान सभा प्रष्न/विषिष्ट व्यक्तियों के सन्दर्भ

संसद/विधान सभा प्रश्न तथा विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त संदर्भों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान किया गया। विशिष्ट व्यक्तियों, भारत सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग से विभिन्न विद्युत क्षेत्रों पर प्राप्त संदर्भों पर प्राथमिकता के आधार पर संवाद स्थापित कर कार्यवाही की गई।

6 उपभोक्ता फोरम

6.1 उपभोक्ताओं की षिकायतों के निपटान हेतु फोरम

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 की उपधारा (5) के साथ पठित धारा 181 के अधीन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण हेतु स्थापित किए जाने वाले फोरम के दिशा–निर्देशों) विनियम, 2003 जारी किए हैं। विनियम 3, के अधीन वितरण लाईसैंसधारी अर्थात हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा विद्युत आपूर्ति में कमी तथा दोष, अनुचित व्यापार पद्धति, लाईसैंसधारी द्वारा विद्युत लाईनों तथा समवर्गी सेवाओं आदि के अधिक प्रभार तथा मूल्य वसूली सम्बन्धी शिकायतों के निवारण हेतु कसुम्पटी, शिमला में तीन सदस्यीय फोरम का गठन किया गया है। वितरण लाईसैंसधारी अर्थात बोर्ड द्वारा दो सदस्य नियुक्त किए गये थे, एक अन्य स्वतन्त्र सदस्य श्री डी.के. गुप्ता सेवानिवृत, मुख्य अभियन्ता को आयोग द्वारा अपने आदेश दिनांक 1.10.2008 के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक के लिए नामित किया गया। स्वतन्त्र सदस्य का नामांकन हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियमन आयोग के विनियमन, 2008 के विनियम 3 के उप विनियमन (9) के खण्ड (बी) (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु स्थापित किए जाने वाले फोरम हेतु दिशा निर्देश (6वां संशोधन) के अधीन किया गया जिसे दिनांक 31 जुलाई, 2008 को विधिवत रूप में

राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया गया। फोरम के आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति फोरम के निर्णय के विरूद्ध 40 दिन की अवधि के भीतर विद्युत ओमबड्समैन के समक्ष अपील दायर कर सकता है। फोरम से प्राप्त सूचना के अनुसार 1.4.2009 से 31.3.2010 तक प्राप्त तथा निपटाई गई शिकायतों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

क्रम सं.	शिकायत की स्थिति	प्रभावकारी विद्युत आपूर्ति में विलम्ब	बोल्टेज की गुणवत्ता	रूकावटें	मीटर सम्बन्धी समस्याएं	बिल शुल्क सम्बन्धी समस्याएं	टैरिफ समस्याएं	अन्य	कुल
	6/09 को समाप्त तिमाही 04/09 से 06/09								
1	प्राप्त शिकायतें	–	–	–	–	–	03	01	04
2	निपटाई गई शिकायतें	–	–	–	01	03	05	02	11
3	लम्बित शिकायतें	–	01	–	09	12	33	10	65
	09/09 को समाप्त तिमाही 07/09 से 09/09								
1	प्राप्त शिकायतें	–	–	–	01	05	01	–	07
2	निपटाई गई शिकायतें	–	–	–	02	02	01	–	05
3	लम्बित शिकायतें	–	01	–	08	15	33	10	67
	12/09 को समाप्त तिमाही 10/09 से 12/09								
1	प्राप्त शिकायतें	–	–	–	–	04	02	01	07
2	निपटाई गई शिकायतें	–	–	–	01	02	–	02	05
3	लम्बित शिकायतें	–	01	–	06	20	32	12	71
	3/10 को समाप्त तिमाही 1/10 से 3/10								
1	प्राप्त शिकायतें	–	–	–	–	03	–	04	07
2	निपटाई गई शिकायतें	–	–	–	01	–	03	01	05
3	लम्बित शिकायतें	–	01	–	06	20	32	12	71
	तीन महीनों से अधिक तथा 6 महीनों से कम लम्बित शिकायतें	–	–	–	–	03	02	01	06
	6 महीनों से अधिक लम्बित शिकायतें	–	01	–	06	14	30	07	58

6.2 विद्युत ओमबड्समैन

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 (6) तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओमबड्समैन) विनियम, 2004 के अधीन 2.1.2008 को आयोग द्वारा श्री एस.के. सूद को विद्युत ओमबड्समैन नियुक्त किया गया। उनके द्वारा उपरोक्त विनियमों के अधीन वर्ष के दौरान उनके समक्ष उपभोक्ता शिकायतों के निराकरण सम्बन्धी कार्य का निष्पादन किया गया। उपभोक्ताओं की शिकायतों को फोरम द्वारा निराकरण न किए जाने अथवा उपभोक्ता फोरम द्वारा दिए गये निर्णय के विरूद्ध उपभोक्ता अपना प्रतिवेदन विद्युत ओमबड्समैन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है तथा विद्युत ओमबड्समैन शिकायतों पर सहमति समझौता अथवा मध्यस्थता करके अथवा विनियमों के अनुसार निर्णय देकर मामलों का निपटारा कर सकता है। फोरम के किसी आदेश से पीड़ित व्यक्ति अथवा फोरम द्वारा उनकी शिकायतों का निराकरण न किए जाने की स्थिति में वह इसके निराकरण हेतु विद्युत ओमबड्समैन के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ओमबड्समैन को उक्त विनियम की धारा 11, 12 और 13 के अधीन विवादों की सहमति व अधिनिर्णय देकर उनकी अनुपालना को सुनिश्चित करने की शक्तियॉ प्रदान की गई हैं। विद्युत ओमबड्समैन को उसे प्रस्तुत किसी भी शिकायत के सम्बन्ध में प्राप्त होने की तिथि से तीन मास की अवधि के अन्दर अपना अधिनिर्णय देना होगा तथा उसका अधिनिर्णय दोनों पक्षों को 30 दिन की अवधि के भीतर स्वीकार करना आवश्यक होगा। किसी अधिनिर्णय अथवा अनुबन्ध के कार्यान्वयन न होने की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति आयोग से सम्पर्क स्थापित कर सकता है तथा आयोग इसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेगा। फोरम के आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश जारी होने की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर विद्युत ओमबड्समैन को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। विद्युत ओमबड्समैन के पास 1.4.2009 तक 2 प्रतिवेदन/आवेदन लम्बित थे। वर्ष के दौरान 4 अतिरिक्त प्रतिवेदन/आवेदन प्राप्त हुए। 31.3.2010 तक प्राप्त कुल 6 प्रतिवेदनों में से सभी का 31.3.2010 तक निपटान किया जा चुका है।

7 राज्य आयोग, उच्च न्यायालय, विद्युत अपील अधिकरण तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा विवादों का न्यायनिर्णय।

- ## आयोग के समक्ष मामले

आयोग में याचिकाओं, उत्तरों, प्रत्युत्तरों तथा आपत्तियों का आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा परीक्षण तथा छानबीन की जाती है। वित्त वर्ष

2009–10 के दौरान आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन विभिन्न याचिकादाताओं तथा लाभार्थियों से 63 नई याचिकाएं प्राप्त हुई जिन में से 39 याचिकाओं का निपटान किया गया तथा 31.3.2010 तक 24 याचिकाएं लम्बित पड़ी है। उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ पुरानी याचिकाओं का भी निपटान किया गया। दायर की गई याचिकाओं, दिए गये निर्णयों तथा लम्बित याचिकाओं का विवरण परिशिष्ट IV पर दिया गया है।

7.1 माननीय उच्च न्यायालय/विद्युत अपील अधिकरण, नई दिल्ली तथा उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामले

आयोग के कर्मचारी विधि कार्यों से सम्बन्धित टिप्पणियां तैयार करने तथा उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा अपील अधिकरण में दायर की जाने वाली याचिकाओं तथा शपथ–पत्र तैयार करने में वकीलों से सम्पर्क स्थापित करते हैं जिसमें विधिक परामर्श के साथ–साथ आवश्यकता पड़ने पर न्यायालयों में उत्तर देने तथा विभिन्न विनियमों को तैयार तथा संशोधित करने में सहायता करते है। इसके साथ ही वे आयोग को लम्बित मामलों की अद्यतन स्थिति से भी अवगत करवाते हैं। उच्च न्यायालय, विद्युत अपील अधिकरण तथा उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत, निपटाए गये तथा लम्बित मामलों का विवरण परिशिष्ट VI पर दिया गया है।

8 वित्त एवं लेखा

8.1 वित्त

वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान आयोग की समस्त प्राप्तियों तथा भुगतानों का विनियमन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः एम.पी.पी.–(3)–7/2004, दिनांक 03.05.2007 के अधीन स्थापित आयोग की निधि में से किया गया। आयोग के विभिन्न कार्यक्लापों के निष्पादन हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 के लिए 90 लाख रुपये की राशि मुख्य लेखा शीर्ष 2801–80–800–02–41 के अधीन सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की गई। आयोग के वर्ष 2009–10 के वार्षिक लेखा निधि नियम में विहित प्रपत्रों पर तैयार किए गये। आयोग के लेखों को प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा तथा तुलन पत्र के रूप में तैयार किया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान आयोग की कुल आय 398.28 लाख रुपये थी जबकि वर्ष के दौरान 262.11 लाख रुपए का व्यय हुआ जिसके अनुसार आय तथा व्यय लेखा के अुनसार 31.3.2010 के अन्त में 136.17 लाख रुपए का आधिक्य रहा।

8.2 आयोग की वित्तीय स्थिति

आयोग की 31.3.2010 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण नीचे दिया जा रहा है :–

(रूपए लाखों में)

दायित्व		परिसम्पतियां	
विवरण	राषि	विवरण	राषि
व्यय से अधिक संचित आय	1191.82	स्थाई परिसम्पत्तियां	32.87
वर्तमान दायित्व तथा प्रावधान	80.71	निवेश	1133.54
		अन्य वर्तमान परिसम्पतियां तथा अग्रिम	89.18
		जमा राशि	0.40
		नकदी तथा बैंक शेष	16.54
योग	**1272.53**		**1272.53**

8.3 आयोग की लेखा परीक्षा

आयोग के वर्ष 2009–10 के लेखों की लेखा परीक्षा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हिमाचल प्रदेश द्वारा अभी की जानी है तथापि पुराने लम्बित आडिट पैरों की वर्षवार स्थिति नीचे दी जा रही है :

क्रम सं.	वर्ष	पैरों की संख्याः	2009–10 के दौरान (मई, 2010) तक निपटाए गये पैरों की संख्या	बकाया पैरों की संख्याः
	2004–05	08	08	–
	2005–06	05	04	01
	2006–07	08	05	03
	2007–08	05	05	–
	2008–09*	07	–	–

*लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण रिपोर्ट मई, 2010 में प्राप्त हुई।

8.4 विधान सभा के समक्ष आयोग के वार्षिक लेखों को प्रस्तुत करना

आयोग के वर्ष 2008–09 के वार्षिक लेखे निधि नियमों के उपबन्धों के अनुसार तैयार किए गये हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित लेखों तथा एतद् सम्बन्धी लेखा परीक्षा रिपोर्ट विधान सभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने हेतु राज्य सरकार को भेजी गई जैसा कि हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

निधि नियम 7(4) द्वारा वांछित है। इसे 5.3.2010 को सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया।

9 समन्वयन फोरम

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166 में उपबन्धित है कि देश में ऊर्जा प्रणाली के निर्वाध तथा समेकित विकास हेतु समन्वयन फोरम स्थापित किए जाएं। धारा 166 की उपधारा (2) में विनियामकों के फोरम गठित किए जाने का प्रावधान किया गया है।

अन्य युटिलिटीज के साथ गतिषील तालमेल तथा विनियामकों द्वारा समान सुधार नीति अपनाने के लिए आयोग निम्न स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर अपनी सदस्यता के माध्यम से सक्रिय रूप से सम्बद्ध होता है:–

9.1 आधारभूत संरचना विनियम के लिए दक्षिण एषिया फोरम (SAFIR)

अन्तर्राष्ट्रीय युटिलिटी विनियमन फोरम (IUFR) के अधीन कार्यरत आधारभूत संरचना विनियमन हेतु दक्षिण एशिया फोरम मई, 1999 को विश्व बैंक की सहायता से स्थापित किया गया जिसके अन्तर्गत बंगलादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, भारत तथा पाकिस्तान के आधारभूत संरचना विनियामकों का नेटवर्क शामिल है। इसके अन्तर्गत विद्युत, प्राकृतिक गैस, दूरसंचार, जल, परिवहन, आदि क्षेत्र शामिल हैं। इसके उद्देश्यों में अनुसंधान, विनियामक सुधार प्रक्रिया तथा अनुभव से सम्बन्धित डाटा बैंक उपलब्ध करना तथा ज्ञान एवं प्रवीणता का लाभकारी आदान–प्रदान आरम्भ करना सम्मिलित है।

आधारभूत संरचना विनियमन हेतु दक्षिण एशिया फोरम की गतिविधियां समस्त सदस्यों से बनी संचारण समिति के मार्ग दर्शन में संचालित होती रही हैं। संचारण समिति की 15वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। जिसमें फोरम को गति प्रदान करने के उद्देश्य से भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान तथा श्रीलंका के एक–एक प्रतिनिधि लेकर कार्यकारी समिति गठित की गई। इसमें यह निर्णय भी लिया गया कि सी.ई.आर.सी., एस.ए.एफ.आई.आर. (CERC, SAFIR) को तीन वर्ष के लिए स्थाई सचिवालय उपलब्ध करवायेगा।

सदस्यों को चार वर्गों में बांटा गया है अर्थात अकादमिक संस्थाएं, उपभोक्ता निकायों/एन.जी.ओ., निगम/युटिलिटी एवं विनियामक निकाय। SAFIR की संचालन समिति की 16वीं बैठक 3 नवम्बर, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी जिसमें हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष ने भी भाग लिया था। आयोग द्वारा वर्ष 2009–10 के लिए 1,50,000–00 रुपये की राशि सदस्यता नवीनीकरण शुल्क के रूप में जमा करवाई गई।

9.2 भारतीय विनियामकों का फोरम (FOIR)

भारतीय विनियामकों का फोरम (FOIR) एक पंजीकृत संस्था है जिसका गठन फरवरी, 2000 में किया गया था। इसकी सदस्यता शुल्क पर आधारित है। FOIR का उद्देश्य विनियामक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता विकसित करना, उपभोक्ता हितों की रक्षा, उपभोक्ता समयक संस्थाओं का विकास, विनियामक संस्थाओं में मानवीय तथा संस्थागत क्षमताओं का विकास, उपयोगिता तथा अन्य लाभार्थियों, विनियामक विधियों तथा प्रथा को सूचनात्मक आधार प्रदान करना, विनियामक मितव्ययता, स्वतन्त्र विनियामक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्षिता लाना है। FOIR द्वारा भारतवर्ष में विद्युत शुल्क के सम्बन्ध में अध्ययन किया गया। हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक अयोग द्वारा भारतीय विनियामकों के फोरम की एक संस्थागत सदस्य के रूप में 26 मई, 2001 को सदस्यता ग्रहण की गई। फोरम एक शासकीय निकाय है तथा भारतीय विनियामकों के फोरम के सदस्य शासकीय निकाय में अवैतनिक हैसियत से नियुक्ति के पात्र हैं। शासकीय निकाय को सचिवालय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा उपलब्ध करवाया गया हैं FOIR की सर्वोच्चसता सामान्य निकाय में निहित है जिसकी बैठक वर्ष में कम से कम एक बार सम्भवतः जून माह में होती है। सामान्य निकाय की बैठक 17 जून, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

9.3 विनियामकों का फोरम (FOR)

भारत सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166 (2) की शर्तों के अधीन विनियामकों का फोरम गठित किया गया है। आयोग के अध्यक्ष FOR के सदस्य भी हैं तथा आयोग द्वारा शुल्क भी नियमित रूप से जमा करवाया जा रहा है। (विद्युत क्षेत्र में अधिकतर निश्चितता प्राप्त करने के उद्देश्य से फोरम पूरे देश में तालमेल स्थापित करने, विद्युत विनियामक आयोगों के कार्यों में एकरूपता लाने की दिशा में कार्य करता है) FOR की 16वीं बैठक 1 फरवरी, 2010 को लखनऊ में आयोजित की गई थी।

9.4 उत्तरक्षेत्रीय विद्युत विनियामक फोरम (NRFER)

एच.पी.ई.आर.सी., जे.के.ई.आर.सी., एच.ई.आर.सी., आर.ई.आर.सी., पी.एस.ई.आर. सी., डी.ई.आर.सी., यु.पी.आर.सी., जे.ई.आर.सी., यू.ई.आर.सी. जैसे उत्तरी क्षेत्र के विद्युत विनियमक आयोगों के अध्यक्षों द्वारा उत्तरी क्षेत्र के राज्यों से सम्बन्धित सामान्य विनियमन हेतु एक तालमेल फोरम स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा की गई। एन.आर.एफ.ई.आर. का पंजीकृत कार्यालय हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के पंचकुला स्थित कार्यालय में स्थापित किया गया है।

इसके साथ ही यह भी प्रस्तावित है कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग के वरिष्ठतम अध्यक्ष एन.आर.एफ.ई.आर. (NRFER) के अध्यक्ष होंगे। एच.ई.आर.सी. के सचिव इसके सचिव होंगे। सामान्य निकाय तथा कार्यकारी समिति की बैठकें छः महीनें में कम से कम एक बार इसके मुख्यालय अथवा किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर बारी–बारी से आयोजित की जायेगी। कार्यकारी समिति में 9 नामित सदस्य होंगे। NRFER का उद्देश्य उत्तरक्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों के दृष्टिगत मुख्यतः विनियामक तंत्र से सम्बन्धित विभिन्न मामलों में साझेदारी, उपभोक्ता हित तथा उनकी हिमायत, षिकायत निवारण तंत्र के सम्बन्ध में स्वैच्छिक संस्थाओं में जागरूकता विकसित करना, विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान तथा अध्ययन आरम्भ करना, समान क्षेत्रीय हितों सम्बन्धी सूचनाओं का आदान–प्रदान तथा मानवीय एवं संस्थागत क्षमता निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। आरम्भ में अंशदायी शुल्क 25,000.00 रुपये होगा जिसे सोसाईटी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यय किया जायेगा। एच.पी.ई.आर.सी. द्वारा NRFER की सदस्यता ग्रहण करने हेतु पहले ही अपनी सहमति व्यक्त की जा चुकी है।

एन.आर.एफ.ई.आर. की तृतीय बैठक हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के तत्वावधान में दिनांक 9 अक्तूबर, 2009 को मनाली (हि0प्र0) में पंजाब विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष श्री जे. एस. गिल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में आई.पी.पी. को ओ.ए. प्रदान करने से पूर्व कार्यान्वयन के उपबन्धों की अनुपालना सुनिष्चित करने, अल्प अवधि क्रय की अधिकतम ऊर्जा दर, शुल्क निर्धारण प्रक्रिया में निरन्तरता, राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को आयकर में छूट, सूचना प्रौद्योगिकी पहल, छत्तीसगढ़ द्वारा Unbundling के विरूद्ध दायर मुकदमों का प्रभाव, संचारण मूल्य निर्धारण, मांग पर आधारित प्रबन्धन तथा एस. एल.डी.सी. पर होने वाले व्यय को सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया। एन.आर.एफ.ई.आर. की चौथी बैठक 2 फरवरी, 2010 को पंजाब विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष श्री जे.एस. गिल की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई तथा यह निर्णय भी लिया गया कि एक कोरपस निधि गठित की जायेगी तथा इसके साथ ही सदस्य शुल्क भी 25000.00 रुपये से 50,000.00 किया गया।

9.5 राज्य सलाहकार समिति

वर्ष 2009–10 के दौरान, राज्य आयोग द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2008 तथा 27 मार्च, 2009 को जारी की गई अधिसूचना क्रमशः 30 अगस्त, 2008 तथा 28 मार्च,2009 को राजपत्र में प्रकाशन द्वारा राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया, जबकि एक सदस्य को 27.11.2009 को जारी अधिसूचना द्वारा नामित किया गया जिसे दिनांक 07.12.2009 को राजपत्र में विधिवत रूप से प्रकाशित किया गया। अतः राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों की कुल संख्या 19 रही जैसा कि परिशिष्ट V में दर्शाया गया है। इस समिति में सम्बद्ध समूहों, वाणिज्य, कृषि, उपभोक्ता, स्वैच्छिक संस्थाओं तथा विद्युत उद्योग आदि के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्य उपभोक्ता मामलों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सचिव भी इस समिति के पदेन सदस्य होंगे। राज्य आयोग के अध्यक्ष राज्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष होंगें तथा आयोग के सचिव इसके सचिव होंगे। वर्ष के दौरान राज्य सलाहकार समिति की दो बैठकें क्रमशः 13.07.2009 तथा 20.03.2010 का आयोजित की गई।

10 तकनीकी/विनियामक/टैरिफ विष्लेषण मामले

10.1 तकनीकी विष्लेषण (टी.ए.) प्रभाग

तकनीकी विश्लेषण प्रभाग कार्यकारी निदेशक (टी.ए.) के अधीन कार्य कर रहा है। तकनीकी विश्लेषण प्रभाग लागत आवंटन तथा रेट डिजाईन प्रस्ताव तैयार करना, उनकी समीक्षा करने, संचारण एवं वितरण क्षति का आंकलन तथा विश्लेषण, तकनीकी निष्पादन तथा सेवा मानकों का मूल्यांकन, लोड फोरकास्ट, विद्युत क्रय, अनुबन्धों, ग्रिडकोड, वितरण कोड, आपूर्ति कोड से सम्बन्धित कार्य करता है। प्रभाग को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अधीन आयोग द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों को तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त यह प्रभाग आई. टी. अनुभाग का कार्य भी देखता है। आई. टी. अनुभाग सिस्टम प्रशासन, डिज़ाईन, आयोग की वैबसाईट के विकास, कम्पयूटर हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर का रख–रखाव, न्यायालय सम्बन्धी कार्यवाही हेतु आडियो–विडियो रिकार्डिंग करना, नियमित बैकअप, दस्तावेजों का सम्पादन तथा मुद्रण, कम्पयूटर प्रशिक्षण, इन्टरनेट से सूचना प्राप्त कर उसे डॉऊन लोड करना, कार्यालय के लिए नवीन आई.टी. आवश्यकताओं का मूल्यांकन, नेटवर्किंग तथा इन्टरनैट सम्बन्धी कार्य करता है। वर्ष के दौरान प्रभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गये :–

10.1.1 विनियम बनाना

प्रारूप नवीकरण क्रय दायित्व तथा इसका कार्यान्वयन विनियम लाभार्थियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आपत्तियों के दृष्टिगत अधिसूचित किए गये। विनियमों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :–

वितरण लाईसैंसधारी, बंधित तथा खुली पहुँच वाले उपभोक्ता/उपयोग कर्ताओं को विद्युत नवीकरणीय स्रोतों से कुल उपभोग की न्यूनतम र्निधारित प्रतिषतता पर क्रय करनी होगी।

10.1.2 विनियमों में संषोधन

विनियमों के बनाने के अतिरिक्त आयोग को पूर्व में अधिसूचित विनियमों में यथा वांछित संशोधन करने होते हैं। वर्ष 2009–10 के दौरान विनियमों में निम्नलिखित संशोधन किए गये :–

- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाईसैंसधारी द्वारा नवीनीकरण एवं सह उत्पादन से विद्युत प्राप्ति) (द्वितीय संशोधन), विनियम, 2009 ।
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति के लिए व्यय की बसूली) चतुर्थ संशोधन, विनियम, 2009 ।
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (व्हीलिंग शुल्क तथा खुदरा आपूर्ति शुल्क निर्धारित करने की शर्तें) (द्वितीय संशोधन), विनियम, 2009 ।
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2009 ।

10.1.3 कोड तथा मानक

हिमाचल प्रदेश विद्युत आपूर्ति कोड 2009 प्रकाशन पूर्व प्रक्रिया अपनाए जाने के पश्चात अधिसूचित किया गया।

10.1.4 अन्य अधिसूचनाएं/आदेष

वर्ष 2009–10 के दौरान निम्नलिखित अधिसूचनाएं/आदेश जारी किए गये :–

- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग खुली पहुँच प्रभार निर्धारण आदेश, 2009
- 5 मैगावॉट क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं के शुल्क आदेश दिनांक 9 तथा 10 फरवरी, 2010
- अधिसूचना : राज्य सलाहकार समिति सदस्य, 2009 का नामांकन।

10.1.5 विद्युत क्रय अनुमोदन

वर्ष 2009–10 के दौरान प्राप्त विद्युत क्रय अनुमोदन तथा आयोग द्वारा इन पर की गई कार्यवाही का विवरण नीचे दिया जा रहा है :–

आयोग द्वारा स्वीकृत मॉडल विद्युत क्रय अनुमोदन की सूची :–

क्रम सं.	विकासकर्ता का नाम	परियोजना का नाम	संस्थापित क्षमता वै.वा.	जिले का नाम जहां स्थित है	पी.पी.ए. अनुमोदन की तिथि
1	मैसर्ज हिम श्षक्ति परियोजना प्रा. लिमिटिड	सैंज	5 मै.वा.	शिमला	26.5.2009
2	मैसर्ज हिमगिरि इन्फ्रास्ट्रचर डवैल्पमैन्ट प्रा. लिमिटिड	साल–।।	3 मै.वा.	चम्बा	03.07.2009
3	मैसर्ज हामल हाईडल लिमिटिड	हामल	2 मै.वा.	शिमला	03.07.2009
4	मैसर्ज श्री भवानी पॉवर प्रोजेक्ट लिमिटिड	मंगलाड	4.5 मै.वा.		14.07.2009
5	मैसर्ज गौथामी रिनिव्यल पॉवर प्रा. लिमिटिड	ष्षातुल	5 मै.वा.	शिमला	29.07.2009
6	मैसर्ज DLI पॉवर (I) प्रा. लिमिटिड	नोगली	3 मै.वा.	शिमला	04.08.2009
7	मैसर्ज DLI पॉवर (I) प्रा. लिमिटिड	नोगली–।	2 मै.वा.	शिमला	04.08.2009
8	मैसर्ज शक्ति हाड्रो इलैक्ट्रिक कम्पनी प्रा. लिमिटिड	चचयोट	3.50 मै.वा.	मण्डी	04.08.2009
9	मैसर्ज DLI पॉवर (I)प्रा. लिमिटिड	सैलन	1.50 मै.वा.	किन्नौर	11.08.2009
10	मैसर्ज DLI पॉवर (I) प्रा. लिमिटिड	राजपुर शिमला	4.50 मै.वा.	शिमला	10.08.2009
11	मैसर्ज DLI पॉवर (I)प्रा. लिमिटिड	सरतु	2.40 मै.वा.	शिमला	10.08.2009
12	मैसर्ज DLI पॉवर (I)प्रा. लिमिटिड	चौंदा	2.40 मै.वा.	शिमला	10.08.2009

13	मैसर्ज अजय एर्नेज़ी एण्ड पॉवर कारपोरेषन	डोगरी	2.50 मै.वा.	शिमला	06.11.2009
14	मैसर्ज KVA हाड्रोंपॉवर (प्रा.) लिमिटिड	सुएल–।।	5 मै.वा.	चम्बा	16.11.2009
15	मैसर्ज शोबला हाड्रोपॉवर (प्रा.) लिमिटिड	ग्रामांग	5 मै.वा.	कुल्लू	04.12.2009
16	मैसर्ज़ दूरसंचार हाईड्रो पॉवर (प्रा.) लिमिटिड	रूकटी–।।	5 मै.वा.	किन्नौर	21.01.2010
17	तंगलिग हाईड्रो पॉवर (प्रा.) लिमिटिड	तांगलिंग	5 मै.वा.	किन्नौर	19.01.2010

10.1.6 दस्तावेज़ो की जांच/उन पर टिप्पणियां

सी.ई.आर.सी., एफ.ओ.आई.आर., एम.ओ.पी., भारत सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी विभिन्न दस्तावेजों की जांच की गई तथा उन पर अपनी टिप्पणियॉ/राय प्रदान की गई।

10.1.7 कॉस्ट डाटा अनुमोदन

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति के लिए व्यय की बसूली) विनियम, 2005 के विनियम 13 के अनुरूप बोर्ड द्वारा वित्त वर्ष 2009–10 से सम्बन्धित प्रस्तुत ई.एच.वी, एच.वी तथा एल.टी. उपकरणों सम्बन्धी कॉस्ट डाटा बुक की जांच करने के उपरांत अनुमोदन प्रदान किया गया।

10.1.8 मांग आधारित प्रबन्धन (DSM) तथा ऊर्जा कार्यकुष्लता (EE)

आयोग द्वारा मांग आधारित प्रबन्ध (DSM) तथा ऊर्जा कार्यकुश्लता EE) से सम्बन्धित व्यापक योजना तैयार करने की पहल की गई तथा परामर्श सेवाओं द्वारा प्रारम्भिक आशय रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा उक्त परामर्श कार्य के अनुमोदन की प्रक्रिया जारी है।

10.1.9 अन्य गतिविधियां

- निष्पादन के स्तर से सम्बन्धित विनियमों का कार्यान्वयन।
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विनियम, 2007 (नवीकरणीय संसाधनों से तथा वितरण लाईसैंसधारियों द्वारा सह–उत्पादन से प्राप्त ऊर्जा) के अधीन गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा लघु विद्युत परियोजनाओं की इवैक्युएशन प्रणाली की प्रगति की समीक्षा करवाना।

10.2 टैरिफ तथा वित्तीय विष्लेषण (TFA) प्रभाग

टैरिफ तथा वित्तीय विश्लेषण प्रभाग, कार्यकारी निदेशक (टी.एफ.ए.) के अधीन कार्य कर रहा है। यह प्रभाग विद्युत उत्पादन/संचारण एवं वितरण, ऊर्जा क्रय अनुबन्धों की जांच, दीर्घकालिक टैरिफ सैटिंग योजना, टैरिफ प्रक्रिया हेतु वित्तीय एवं आर्थिक विश्लेषण, वाणिज्यिक एवं वित्तीय मानक लागू करना, वित्तीय निष्पादन की समीक्षा तथा अनुपालन रिर्पोट तैयार करने के अतिरिक्त वित्तीय जांच पड़ताल तथा विद्युत उपयोग संवीक्षा के लिए उत्तरदायी है। यह तकनीकी संवीक्षा प्रभाग के साथ भी सहयोग करता है। आयोग की सभी कार्यवाहियों में भाग लेना तथा सभी प्रकार के निवेशों की समीक्षा एवं अनुमोदन में सहायता प्रदान करना भी इसके कार्यों में षामिल हैं।

10.2.1 प्रथम वार्षिक निष्पादन समीक्षा (APR) आदेष एम.वाई.टी. अवधि के लिए (वित्त वर्ष 2009–11) तथा वित्त वर्ष 2009–10 के लिए षुल्क निर्धारण

आयोग द्वारा, हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा दायर प्रतिवेदन पर वित्त वर्ष 2009–10 के लिए शुल्क का अनुमोदन तथा एम.वाई.टी. नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2009–11) के अर्न्तगत वित्त वर्ष 2009–10 एवं वित्त वर्ष 2010–11 के लिए संशोधित औसत राजस्व आवश्यकता (ARR) को विनियमों में विहित आवश्यक प्रक्रिया अपनाने के पश्चात दिनांक 24 अगस्त, 2009 को अनुमोदन प्रदान किया गया। बोर्ड की कुल राजस्व आवश्यकता 2341 करोड़ रुपये निर्धारित की गई तथा विद्युत विक्रय से प्राप्त राजस्व 2483.59 करोड़ निर्धारित किया गया। इस प्रकार 142.65 करोड़ रुपये का आधिक्य हुआ। यह आधिक्य आयोग द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्रों द्वारा सम्भावित संशोधित शुल्क, संशोधित वेतनमानों के कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय तथा शुल्क आदेश आदि की सम्भावनाओं में होने वाले अन्तर को पूरा करने में प्रयोग में लाया जायेगा।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा आरम्भ की गई सी.एफ.एल. योजना के अतिरिक्त आयोग द्वारा मांग पर आधारित प्रबन्धन के माध्यम से अधिक से अधिक विद्युत बचत की प्रक्रिया सुनिश्चित की है। इस उद्देश्य से आयोग द्वारा संरचना निर्माण में विद्युत क्षति कम करने, कुशलतम विद्युत मशीनरी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना तथा संचारण क्षेत्र में और अधिक आधुनिक मशीनरी के प्रयोग के सम्बन्ध में एक कार्य योजना विकसित की है। मांग आधारित प्रबन्धन के लाभ आने वाले अर्द्ध दशक तक प्राप्त होने की सम्भावना है।

एम.वाई.टी. प्रक्रिया लागू करने के उद्देश्य से आयोग द्वारा अपने आदेश में मॉडल स्थापित करते हुए लागत पर टैरिफ संयोजित करने हेतु ठोस प्रयास के द्वारा राज्य में विद्युत क्षेत्र में किए जाने वाले सुधारों की ओर इंगित किया है, टैरिफ आदेश की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :–

(क) प्रतिमास 150 युनिट तक विद्युत उपयोग करने वाले सभी घरेलु उपभोक्ताओं के शुल्क में 20 पैंसों की कमी की गई है जो कि पूरे देश में सबसे कम है।

(ख) बड़े उद्योगों के मामलों में, जो अन्य उपभोक्ताओं को अनुदान प्रदान करते हैं तथा मंदी के दौर से गुजर रहे हैं को EHT तथा HT दोनों ही प्रकार के उपभोक्ताओं को 15 पैसे प्रति KVAH विद्युत प्रभार लगाने का अनुमोदन किया गया है।

(ग) अन्य सभी उपभोक्ताओं, जैसे NDNCS, वाणिज्यिक, स्ट्रीट लाईट, थोक आपूर्ति आदि के शुल्क में किसी प्रकार का परिर्वतन नहीं किया गया है।

(घ) आयोग द्वारा अपने शुल्क आदेश के सम्बन्ध में चार नये निर्देश जारी किए हैं जिसके अन्तर्गत मुख्य रूप से स्वचलित मीटर रीडिंग अथवा AMR को बढ़ावा देना ताकि राज्य में उन्नत मीटरिंग अधोसंरचना स्थापित की जा सके तथा आयोग द्वारा आरम्भ की गई ऊर्जा कुशल तथा मांग आधारित प्रबन्ध प्रक्रिया के निर्माण तथा विकास योजना में षामिल होना, स्टेट लोड डिस्पैच सैन्टर (SLDC) को कार्यशील स्वामित्व प्रदान करने के उद्देश्य से प्रणाली तथा चिन्तन विकसित करना तथा आंकड़ों में विषमता सम्बन्धी सूचना तंत्र को सुदृढ़ करना शामिल है।

(ड.) टैरिफ आदेश में, वर्तमान लागत तथा प्रोत्साहन पर आधारित विनियमों से सम्बन्धित मानदण्ड विनियमों की ओर अग्रसर सम्बन्धी नीति विकसित करने, पुनर्संरचना तथा सुधारों के माध्यम से बोर्ड की कार्यकुशलता तथा उत्पादन क्षमता में सुधार लाना, लाभार्थियों के हितों की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रत्येक विद्युत परियोजना की संवीक्षा के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करना, पॉवर इवेक्युएशन प्रक्रिया में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से संचारण यूटिलिटी (Transco) तथा निदेशालय को व्यवस्थित करने तथा वित्तीय प्रबन्धन में सुधार लाने पर बल दिया गया है।

11 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना

वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन कुल 20 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका निर्धारित समय अवधि के भीतर निपटान किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (ख) के अधीन वांछित आयोग की सूचना को अद्यतन रूप में आयोग की बेबवाईट में षामिल किया गया है। सूचना

का अधिकार से सम्बन्धित सूचना तथा आयोग की अन्य प्रासंगिक गतिविधियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :–

11.1 संगठन का विवरण, कार्य एवं कर्तव्य

11.1.1 संगठन

कृपया इसके लिए पैरा संख्या 1 के शीर्षक ''परिचय'' तथा पैरा संख्या 3 के शीर्षक ''आयोग तथा इसका सचिवालय'' देखें।

11.1.2 आयोग के कार्य एवं कर्तव्य

कृपया पैरा संख्या 2 शीर्ष ''आयोग के कार्य'' देखें।

11.2 आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शक्तियां तथा कर्तव्य

आयोग द्वारा अपने कार्यों का निर्वहन तीन प्रभागों नामतः प्रशासन एवं विधि, तकनीकी विश्लेषण एवं टैरिफ तथा वित्तीय विश्लेषण के माध्यम से किया जा रहा है जिन्हें निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व सौंपे गये हैं :–

- प्रशासन, वित्तीय एवं विधि प्रभाग।
  कृपया पैरा 4.2 ''कार्मिक एवं प्रशासन'' देखें।
- तकनीकी विश्लेषण प्रभाग।
  कृपया पैरा संख्या 10 ''तकनीकी/विनियामक टैरिफ विश्लेषण मामले देखें।
- टैरिफ एवं वित्तीय विश्लेषण प्रभाग कृपया पैरा संख्या 10.2 ''टैरिफ एवं वित्तीय विश्लेषण प्रभाग मामले'' देखें।

11.3 निरीक्षण के माध्यमों तथा दायित्वों सहित निर्णय प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली कार्यविधि

11.3.1 अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों तथा कार्यों का निष्पादन सीधे रिपोर्टिंग प्रणाली द्वारा किया जाता है तथा मुख्य निर्णय आयोग के स्तर पर लिए जाते हैं।

11.3.2 आयोग के समक्ष अपनाई जाने वाली कार्यविधि प्रक्रिया, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2005 के अध्याय–।। में विनिर्दिष्ट हैं।

11.4 कार्य निष्पादन हेतु स्थापित मानक

आयोग द्वारा अपने कार्य निष्पादन हेतु कोई मानक स्थापित नहीं किए गये हैं। हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) विनियम, 2005 के अधीन समय–समय पर नियुक्त परामर्शदाता तथा वर्तमान कर्मचारी वर्ग आयोग के नैत्यक कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करते हैं।

11.5 आयोग के पास/अधीन नियम, विनियम, निर्देष, नियमावली तथा रिकार्ड

11.5.1 नियम तथा विनियम

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 द्वारा राज्य विद्युत विनियामक आयोग को अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अधिनियम तथा नियमों के अनुरूप विनियम बनाने की षक्तियां प्राप्त हैं। अधिनियम की धारा 180 के अधीन नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है। विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 में भी इसी प्रकार के प्रावधान किए गये हैं।

हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अभी तक बनाए गये विनियमों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :–

क्रम सं.	विनियम का विवरण	अधिसूचना/ राजपत्र में प्रकाषन की तिथि
1	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम स्थापित करने सम्बन्धी दिशा निर्देश) विनियम, 2003	23.10.2003
(क)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम स्थापित करने सम्बन्धी दिशा निर्देश) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2004	21.06.2004
(ख)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम स्थापित करने सम्बन्धी दिशा निर्देश) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2005	18.05.2005
(ग)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम स्थापित करने सम्बन्धी दिशा निर्देश) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2005	20.12.20005

(घ)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम स्थापित करने सम्बन्धी दिशा निर्देश) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2007	25.08.2007
(ड़)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम स्थापित करने सम्बन्धी दिशा निर्देश) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2008	27.02.2008
(च)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम स्थापित करने सम्बन्धी दिशा निर्देश) (छठा संशोधन) विनियम, 2008	23.07.2008
(छ)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम स्थापित करने सम्बन्धी दिशा निर्देश) विनियम, 2010	06.02.2010
2	हिमाचल प्रदेश विद्युत ओमबड्समैन (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा शर्तें) विनियम, 2004	05.04.2004
3	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ निर्धारण हेतु शर्तें तथा निबन्धन) विनियम, 2004	09.06.2004
4	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (वित्तरण लाईसैंसधारी के लिए सामान्य शर्तें) विनियम, 2004	09.06.2004
(क)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (वित्तरण लाईसैंसधारी के लिए सामान्य शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2005	22.02.2005
5	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओमबड्समैन) विनियम, 2004	19.04.2004
(क)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओमबड्समैन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2005	19.01.2005
(ख)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओमबड्समैन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2005	20.12.2005
(ग)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओमबड्समैन) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2007	20.08.2007
(घ)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओमबड्समैन) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2008	29.02.2008

6	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओमबड्समैन की नियुक्ति हेतु शर्तें) आदेश, 2004	11.05.2004
(क)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओमबड्समैन की नियुक्ति हेतु शर्तें) (प्रथम संशोधन) आदेश, 2007	26.11.2007
7	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (संचारण लाईसैंसधारी के लिए सामान्य शर्तें) विनियम, 2004	11.06.2004
(क)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (संचारण लाईसैंसधारी के लिए सामान्य षर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2005	22.02.2005
8	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (व्यापारिक लाईसैंसधारी के लिए सामान्य षर्तें) विनियम, 2004	11.06.2004
(क)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (व्यापारिक लाईसैंसधारी के लिए सामान्य शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2005	22.02.2005
9	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2004	22.06.2004
(क)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2009	21.07.2009
10	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (अनुरोध पर विद्युत आपूर्ति करने के सम्बन्ध में लाईसैंसधारी का कर्त्तव्य) विनियम, 2004	22.06.2004
11	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2001	23.04.2001
(क)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2003	10.07.2003
(ख)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2008	01.08.2008
(ग)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2008	21.07.2008
12	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2005	14.01.2005
(क)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कार्य	14.01.2008

	संचालन) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2008	
13	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (सेवा की विधि तथा आयोग द्वारा नोटिस का प्रकाशन) विनियम, 2005	24.03.2005
14	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत की आपूर्ति सम्बन्धी व्यय की बसूली) विनियम, 2005	24.03.2005
15	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया) अधिनियम, 2005	24.03.2005
(क)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया) (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2005	15.11.2008
16	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (प्रतिभूति राशि) विनियम, 2005	30.03.2005
(क)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (प्रतिभूति राशि) (कठिनाईयों का निराकरण) (प्रथम) आदेश, 2005	06.10.2005
17	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (हिमाचल प्रदेश राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं का अनुमोदन) दिशा निर्देश, 2005	06.04.2005
18	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (खुली पहुँच के लिए शर्तें) विनियम, 2005	03.06.2005
19	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) विनियम, 2005	25.07.2005
(क)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (जल विद्युत उत्पादन टैरिफ निर्धारित करने की षर्तें) विनियम, 2008	
20	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाईसैंसधारी के निष्पादन का स्तर) विनियम, 2005	31.10.2005
(क)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाईसैंसधारी के निष्पादन का स्तर) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2007	08.03.2007
21	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी व्यय की बसूली) विनियम, 2005	31.10.2005

(क)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी व्यय की बसूली) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2005	09.12.2005
(ख)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी व्यय की बसूली) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2006	21.08.2006
(ग)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी व्यय की बसूली) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2008	01.05.2008
(घ)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी व्यय की बसूली) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2008	14.07.2009
22	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ फाईलिंग के फार्म तथा दिशा निर्देश) विनियम, 2005	31.10.2005
23	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (संचारण लाईसैंसधारी तथा वितरण लाईसैंसधारी के अन्य व्यापार से होने वाली आय का विवेचन) विनियम, 2005	02.12.2005
24	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (संचारण, व्हीलिंग तथा इन्टरविनिंग सुविधाओं के लिए प्रभार तथा स्टेट लोड डिस्पैच केन्द्र द्वारा लिए जाने वाले प्रभार तथा शुल्क) विनियम, 2006	16.09.2006
25	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (क्रास उपदान अधिभार, अतिरिक्त अधिभार तथा क्रास उपदान की स्थिति) विनियम, 2006	07.12.2006
26	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय साधनों से विद्युत प्राप्ति तथा वितरण लाईसैंसधारी द्वारा विद्युत का सह उत्पादन) विनियम, 2007	21.06.2007
(क)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय साधनों से विद्युत प्राप्ति तथा वितरण लाईसैंसधारी द्वारा विद्युत का सह उत्पादन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2007	16.11.2007
(ख)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग	19.10.2009

	(नवीकरणीय साधनों से विद्युत प्राप्ति तथा वितरण लाईसैंसधारी द्वारा विद्युत का सह उत्पादन) (द्वितीय संशोधन)विनियम, 2007	
27	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (व्हीलिंग टैरिफ तथा खुदरा आपूर्ति शुल्क निर्धारण हेतु शर्तें) विनियम, 2007	15.10.2007
(क)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (व्हीलिंग टैरिफ तथा खुदरा आपूर्ति शुल्क निर्धारण हेतु शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2008	19.07.2008
(ख)	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (व्हीलिंग टैरिफ तथा खुदरा आपूर्ति शुल्क निर्धारण हेतु शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2009	15.09.2009
28	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (जल विद्युत उत्पादन शुल्क निर्धारण की शर्तें) विनियम, 2007	17.10.2007
29	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (संचारण शुल्क निर्धारण की शर्तें) विनियम, 2007	17.10.2007
30	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत व्यापारी बनने के लिए प्रात्रता शर्तें) विनियम, 2008	21.07.2008
31	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड कोड) "HPEGC" अथवा ग्रिड कोड	05.08.2008
32	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड, 2009)	26.05.2009
33	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (वितरण कोड, 2008)	01.01.2009
इन विनियमों की जानकारी आयोग की वैबसाईट पर भी उपलब्ध है।		

11.5.2 निर्देष, नियमावली तथा रिकार्ड

उपरोक्त विनियामकों के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश/आदेश/संकल्पना पत्र अधिसूचित किए हैं :–

1 लोड फोरकास्ट, संसाधन नियोजन तथा विद्युत प्रापण प्रक्रिया हेतु दिशा निर्देश।

2 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पुर्नगठन तथा पुर्नसंचारण हेतु संकल्पना पत्र।

3 हिमाचल प्रदेश राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के अनुबन्ध हेतु दिशा निर्देश, 2005.

4 हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग खुली पहुँच प्रभार आदेश, 2008 (Open Access Charges Order, 2008) का निर्धारण।

5 हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग अन्तर्राज्यीय व्यापार सीमा निर्धारण आदेश, 2008

6 हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग ग्रिड ईन्टरएक्टिव फोटो बोल्टिक हेतु टैरिफ तथा सोलर पॉवर प्रोजेक्टस (एम.एन.आर.ई. दिशा निर्देशों के अधीन), 2009

11.6 दस्तावेजों के वर्ग जो आयोग के पास अथवा आयोग के अधीन हैं का विवरण

11.6.1आयोग द्वारा रखे गये दस्तावेजों के वर्ग मुख्य रूप से निम्न से सम्बन्धित हैं।

(i) आयोग को सौंपे गये कार्य तथा एतद सम्बन्धी जारी आदेशों की परिधि में आने वाले मामलों तथा विभिन्न एजेंसियों तथा उपभोक्ताओं द्वारा दायर की गई याचिकाएं।

(ii) ऐसे मामले जिनके सम्बन्ध में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 की उप धारा 2 के अधीन राज्य सरकार से वैधानिक राय ली गई हो।

(iii) अधिनियम की धारा 128 के अधीन मामलों की जांच।

(iv) आयोग द्वारा विद्युत उत्पादन, संचारण थोक तथा खुदरा आपूर्ति, टैरिफ, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटिड के लिए विभिन्न अध्ययन विनियामकों के निर्माण, विधिक तथा तकनीकी सहायता आदि के लिए नियुक्त परामर्शदात्ताओं से सम्बन्धित पत्राचार।

11.7 अपनी नीतियां बनाने तथा उनके प्रशासन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों के साथ उनके सम्बन्ध में किए गये विद्यमान परामर्श सम्बन्धी कोई भी विवरण।

11.7.1 हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियम, 2003 की धरा 94 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन आयोग द्वारा अपनी कार्यवाही के दौरान उपभोक्ता हितों की पैरवीं करने हेत हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत वरिष्ठ अभियन्ता श्री पी.एन. भारद्वाज की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा बनाए जाने वाले प्रारूप विनियमों/निर्देशों को अन्तिम रूप दिए जाने से पूर्व राजपत्र तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं ताकि इस सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव प्राप्त हो सके।

11.8 आयोग द्वारा परामर्श के उद्देश्य से गठित बोर्ड, परिषदों, समितियों तथा अन्य ऐसे निकायों जिनकी संख्या दो या इससे अधिक हो, की बैठकें सार्वजनिक करने तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाही जन साधारण की पहुँच तक पहुंचाने की प्रक्रिया आरम्भ की है।

कृपया पैरा संख्याः 9.5 ''राज्य सलाहकार समिति'' तथा पैरा संख्याः 9, ''समन्वयन फोरम स्थापित करना तथा इसकी सदस्यता'' देखें।

11.9 आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देषिकाः–

11.9.1 हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग के क्योंथल कमर्षियल कम्पलैक्स खलीनी षिमला–171002 स्थित कार्यालय की निर्देषिका :–

EPABX	:	2627263, 2627907, 2627908
FAX	:	2627162
E.Mail	:	hperc@rediffmail.com
WEBSITE	:	www.hperc.org

11.9.2हिमाचल प्रदेष विद्युत विनियामक आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देषिका :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नं0/ एक्सटैंषन	आवास संख्या
1	श्री योगेश खन्ना	अध्यक्ष	2627262	2655082
2	श्रीमती पूर्णिमा चौहान	सचिव	2621003	
3	श्री जे. पी. काल्टा	कार्यकारी निदेशक (टी.ए.)	2627983	2673481
4	श्री महेश सरकेक	कार्यकारी निदेशक (टी.एफ.ए.)	306	2811633
5	श्री आर. एस. जाल्टा	निदेशक (टी एण्ड डी)	305	2670596
6	श्री जे. एस. रेटका	कार्मिक एवं प्रशासनिक अधिकारी	318	2674033
7	श्रीमती नीता गौतम	उप निदेशक	319	2624618
8	श्री अजय चड्डा	उप निदेशक	322	2657452
9	श्री राजीव सिंधु	उप निदेशक	320	2811797
10	श्री चन्द्र वर्मा	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	315	01772656114
11	श्री विपिन षर्मा	रीडर	233	9818001088
12	श्री मोहिन्द्र सिंह	निजी सहायक	2621003	2837249
13	श्री सतीश घारू	निजी सहायक	2627978	2623477
14	श्री अजय कौशिक	निजी सहायक	2627263	2805744
15	श्री अशोक गौतम	निजी सहायक		
16	श्री बी.एस. कंवर	सिनियर स्केल स्टेनोग्राफर	2627262	5533690
17	श्री सुशील कश्यप	अधीक्षक ग्रेड–।।	316	2842831
18	श्रीमती रमा महाजन	वरिष्ठ सहायक	312	2674858
19	श्री कमल दिलैक	वरिष्ठ सहायक	311	2628025
20	श्री राज कुमार	रिकार्ड कीपर	321	
21	श्री जगत राम	लिपिक		2627763
22	श्रीमती रेनु वत्स	जुनियर स्केल स्टैनोग्राफर	312	9816398983
23	श्री दिनेश चौहान	कम्पयुटर आपरेटर	317	9418462400
24	श्री ओम प्रकाश	चालक		2838248
25	श्री सैन राम	चालक		9816041592
26	श्री रूम सिंह	चालक		9816002465
27	श्री मनमोहन	सेवादार		2624013
28	श्री किशोरी लाल	सेवादार		2626745
29	श्री मेद राम	सेवादार		9816021866
30	श्री राजकुमार	चालक		9418053363

11.10 आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक तथा क्षतिपूर्ति प्रणाली विनियमों में किए गये प्रावधानों के अध्याधीन हैं।

11.10.1आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को देय कुल वेतन का विवरण नीचे दिया जा रहा है :–

क्र. सं.	नाम	पदनाम	कुल वेतन
1	श्री योगेश खन्ना	अध्यक्ष	62,025–00
2	श्रीमती पूर्णिमा चौहान	सचिव	72,129–00
3	श्री जे. पी. काल्टा	कार्यकारी निदेशक (टी.ए.)	83,169–00
4	श्री महेश सरकेक	कार्यकारी निदेशक(टी.एफ.ए.)	59,863–00
5	श्री आर. एस. जाल्टा	निदेशक (टी एण्ड डी)	57,185–00
6	श्री जे. एस. रेटका	कार्मिक एवं प्रशासनिक अधिकारी	39,630–00
7	श्रीमती नीता गौतम	उप निदेशक	44,292–00
8	श्री राजीव सिंधु	उप निदेशक	52,696–00
9	श्री अजय चड्डा	उप निदेशक	35,730–00
10	श्री चन्द्र वर्मा	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	28,012–00
11	विपिन शर्मा	रीडर	27,311–00
12	श्री मोहिन्द्र ठाकुर	निजी सहायक	36,095–00
13	श्री सतीश घारू	निजी सहायक	34496–00
14	श्री अजय कौशिक	निजी सहायक	34,925–00
15	श्री अशोक गौतम	निजी सहायक	32,362–00
16	श्री सुशील कश्यप	अधीक्षक ग्रेड–।।	36,020–00
17	श्रीमती रमा महाजन	वरिष्ठ सहायक	25,158–00
18	श्री कमल दिलैक	वरिष्ठ सहायक	23,958–00
19	श्री बी.एस. कंवर	सिनियर स्केल स्टेनोग्राफर	23,208–00
20	श्री राज कुमार शर्मा	रिकार्ड कीपर	27,791–00
21	श्रीमती रेनु वत्स	जुनियर स्केल स्टैनोग्राफर	25,159–00
22	श्री दिनेश चौहान	कम्पयूटर आपरेटर	12,484–00
23	श्री जगत राम	लिपिक	15,759–00
24	श्री ओम प्रकाश	चालक	28,354–00
25	श्री रूम सिंह	चालक	16,142–00
26	श्री सैन राम	चालक	24,551–00
27	श्री मनमोहन	सेवादार	15,612–00
28	श्री किशोरी लाल	सेवादार	10,440–00
29	श्री मेद राम	सेवादार	14,101–00
30	श्री राजकुमार	चालक	12,750–00

11.10.2 कर्मचारियों के सेवा विनियमों का हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाना है। सैकेन्डमैंट आधार पर नियुक्त कर्मचारियों का वेतन उनके अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जा रहा है जबकि स्थाई रूप से अन्तरलियित कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों को प्रस्तावित प्रारूप सेवा विनियमों के अनुसार वेतन दिया जा रहा है।

11.11 प्रत्येक ऐजेन्सी को आंबटित बजट, सभी संयंत्रों का विवरण, प्रस्तावित व्यय तथा किए गये वितरण की रिपोर्ट।

पैरा संख्या 8 ''वित्त एवं लेखा'' पर देखें।

11.12 उपदान कार्यक्रमों के लिए आबंटित धन सहित कार्य निष्पादन की विधि तथा ऐसे कार्यक्रमों से लाभान्वित लोगों का विवरण :–

आयोग एक अर्द्धन्यायायिक निकाय है अतः उपदान कार्यक्रम इसके कार्यों की परिधि में नहीं आते।

11.13 छूट, परमिट अथवा प्राधिकार जो कि आयोग द्वारा प्रदान किए गये हो का विवरण :–

आयोग द्वारा इस प्रकार की कोई भी छूट, परमिट तथा प्राधिकार प्रदान नहीं किए गये हैं।

11.14 आयोग के पास उपलब्ध सूचना जिसे इलैक्ट्रानिक रूप में रखा गया हो :–

आयोग द्वारा जारी सभी विनियम/निर्देश तथा महत्त्वपूर्ण आदेश इलैक्ट्रोनिक माध्यम से आयोग की बैबसाईट www.hperc.org में उपलब्ध है।

11.15 पुस्तकालय अथवा वाचनालय, यदि इसे सार्वजनिक प्रयोग हेतु रखा गया हो, नागरिकों की सूचना हेतु उपलब्ध सुविधाओं का विवरणः

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम के विनियम 23 के अधीन आयोग की प्रत्येक कार्यवाही का रिकार्ड सभी के लिए खुला है।

कोई भी पक्ष अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि कार्यवाही के दौरान अथवा आदेशों के पारित होने पर शुल्क अदा करने तथा आयोग द्वारा लगाई गई अन्य शर्तो का अनुपालन करने के उपरांत सूचना प्राप्त कर सकता है। उपरोक्त विनियमों के विनियम 24 के अधीन विहित प्रक्रिया अपनाने तथा निर्धारित शुल्क अदा करने पर आयोग के रिकार्ड की प्रमाणित प्रति भी प्राप्त की जा सकती है। आयोग का पुस्तकालय सार्वजनिक प्रयोग हेतु खुला नहीं है।

11.16 लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम तथा अन्य विवरण :–

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 तथा 9 के अनुपालन में आयोग द्वारा अधिसूचित लोक सूचना अधिकारियों का विवरणः

1	अपील अधिकारी	श्रीमती पूर्णिमा चौहान, सचिव, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग
2	लोक सूचना अधिकारी	श्री जे. एस. रेटका, कार्मिक एवं प्रशासनिक अधिकारी
3	सहायक लोक सूचना अधिकारी	श्रीमती रमा महाजन, वरिष्ठ सहायक

11.17 अन्य कोई ऐसी सूचना जिसे विहित किया गया हो तथा जो इन प्रकाषनों में प्रकाषित न की गई होः

ऐसी कोई भी अन्य सूचना विहित नहीं है।

———